भारत सरकार

परमाणु ऊर्जा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 579

जिसका उत्तर दिनांक 16.09.2020 को दिया जाना है

परमाणु ऊर्जा में निवेश

579. कुमारी राम्या हरिदास :

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में घरेलू निवेश पर्याप्त नहीं है;

(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में घरेलू और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की गई है; और

(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधान मंत्री कार्यालय (डॉ. जितेन्द्र सिंह) :

(क) तथा (ख) वर्तमान में, देश में 6780 MW की क्षमता वाले बाईस (22) रिएक्टर प्रचालनरत हैं । इसके अतिरिक्त, 6700 MW की कुल क्षमता वाले नौ (9) रिएक्टर वर्तमान में निर्माणाधीन हैं । सरकार ने जून 2017 में 9000 MW की कुल क्षमता वाले बारह (12) अन्य रिएक्टरों के लिए भी प्रशासनिक अनुमोदन एवं वित्तीय मंजूरी प्रदान कर दी है ।

नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं के लिए पूंजीगत निवेश का वित्तपोषण ऋण से इक्विटी 70:30 के अनुपात में किया जा रहा है ।

इक्विटी हिस्से की निधि न्यूक्लियर पावर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनपीसीआईएल) के आंतरिक स्रोतों एवं सरकारी बजट की सहायता से प्रदान की जाती है ।

(ग) तथा (घ) वर्तमान नीति (सरकार की समेकित एफडीआई नीति) परमाणु ऊर्जा को निषिद्ध क्षेत्रों की श्रेणी में रखती है । तथापि, नाभिकीय विद्युत संयंत्रों और संबद्ध अन्य सुविधाओं के लिए उपकरणों के विनिर्माण करने और अन्य सामग्रियों को उपलब्ध कराने के लिए नाभिकीय उद्योग में एफडीआई पर कोई प्रतिबंध नहीं है । भारत सरकार ने वर्ष 2015 में परमाणु ऊर्जा अधिनियम, 1962 में संशोधन किया है जिससे नाभिकीय विद्युत परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए एनपीसीआईएल के संयुक्त उद्यमों को लाइसेंस दिया जा सके । घरेलू निवेश बढ़ाने के लिए, एनपीसीआईएल द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े उपक्रमों - नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड (एनटीपीसी), इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) और नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड (नाल्को) के साथ संयुक्त उद्यम गठित किए गए हैं ।

* * * * *